पत्र संख्या–जी0एस0टी0/2019–20/ 1920066 /705 /वाणिज्य कर

कार्यालयः– कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 11 नवम्बर, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/कार्पोरेट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जी0एस0टी0 काउन्सिल सचिवालय के ई–मेल दिनांक 31.10.2019 तथा उसके साथ संलग्न Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs GST Policy Wing के पत्र संख्या–F.No. 20/16/12/2018-GST/4230 दिनांक 09.10.2019, F.No. 20/16/12/2018-GST/4160-81 दिनांक 27.09.2019 तथा Office of the Additional Director General of Systems, 1st & 5th Florr, GST Bhaan, 26/1, Mahatma Gandhi Salai, Nungambakkam, Chennai के पत्र संख्या–C. No. IV/26/11/2017 Part File-Systems(s) दिनांक 26.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि जी0एस0टी0 काउन्सिल की 37वीं बैठक में रिफण्ड की एकल एकीकृत प्रणाली के सम्बन्ध में संस्तुति के आधार पर इसे 26.09.2019 से लागू किया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु विधि और नियम में आवश्यक परिवर्तन किया गया है। दिनांक 25.09.2019 तक के जिन रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का ARN जनरेट हो गया है उनका निस्तारण मैनुअल व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। उक्त तीनों पत्रों में दिनांक 26.09.2019 से रिफण्ड के सम्बन्ध में लागू की गयी एकीकृत व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जिसका अध्ययन करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।